

(लेखानुदान) अधिनियम

उत्तरांचल विनियोग विधेयक, 2002

(अधिनियम सं० २ वर्ष २००२)

31 मार्च 2003 ई० को समाप्त होने वाले वर्ष में व्यय के लिए राज्य की समेकित निधि में से कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग का प्राधिकार देने की व्यवस्था के लिए

विधेयक — अधिनियम

भारत गणराज्य के तिरपनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

- | | |
|--|--|
| संक्षिप्त नाम | 1— यह अधिनियम उत्तरांचल विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 2002 कहलायेगा। |
| उत्तरांचल की समेकित निधि में से वर्ष 2002—2003 के लिए
रु० 1351,89,75,000 का दिया जाना | 2— ऐसे विविध परिव्यय चुकाने के लिए जो 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर अनुसूची के स्तम्भ-2 में दी गई सेवाओं और प्रयोजनों के सम्बन्ध में देने पड़ेगे, उत्तरांचल की समेकित निधि में से इतना रूपया दिया और काम में लाया जा सकता है जो अनुसूची के स्तम्भ-7 एवं 9 में दी हुई धनराशियों से, जिन सब का कुल योग उत्तरांचल विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 2002 (उत्तरांचल अधिनियम संख्या— सन् 2002) की अनुसूची के स्तम्भ-8 एवं 10 में निर्दिष्ट धनराशियों को सम्मिलित करके) रु० 1351,89,75,000 (एक हजार तीन सौ इक्कावन करोड़, नवासी लाख, पचहत्तर हजार रुपये मात्र) होता है, अधिक न हो। |
| विनियोग | 3— इस अधिनियम द्वारा उत्तरांचल की समेकित निधि में से, जिन धनराशियों देने और काम में लाने का अधिकार दिया गया है, उनका विनियोग 31 मार्च 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष के सम्बन्ध में उन सेवाओं और प्रयोजनों के लिए किया जायेगा जो अनुसूची में दिये हुए हैं। |

31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये ऐसे व्यय का अनुमान जिसके लिये लेखानुसार अनुमानित है

अनुदान क्रम-संख्या तथा उसका विवरण	कुल मांग						(हजार रुपयों में)	
	राजस्व		पूंजी		1 अप्रैल से 31 मार्च 2003 हेतु आवश्यक धनराशि			
	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित
01-विधान सभा	54720	5252	0	0	13680	0	0	0
02-राज्यपाल	0	27476	0	0	0	0	0	0
03-मंत्रिपरिषद्	40708	0	0	0	10177	0	0	0
04-न्याय प्रशासन	237876	99868	150000	0	59469	37500	0	0
05-निर्वाचन	78596	0	0	0	19649	0	0	0
06-राजस्व एवं सामान्य प्रशासन	1280152	84	116000	0	320038	29000	0	0
07-वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवाएँ	5136760	6119908	576504	6166892	1284190	144126	1541723	0
08-आबकारी	27776	0	10000	0	6944	2500	0	0
09-लोक सेवा आयोग	15724	0	10000	0	3931	2500	0	0
10-पुलिस एवं जेल	1942244	12	100004	0	485561	25001	0	0
11-शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति	9566492	20	250328	0	2391623	62582	0	0
12-चिकित्सा एवं परिवार कल्याण	2008412	0	365332	0	502103	91333	0	0
13-जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास	2251404	0	125000	0	562851	31250	0	0
14-सूचना	93920	0	0	0	23480	0	0	0
15-कल्याण योजनाएँ	1556528	0	139532	0	389132	34883	0	0
16-श्रम और रोजगार	235912	0	0	0	58978	0	0	0
17-कृषि कर्म एवं अनुसंधान	2336928	2016	24748	0	584232	504	6187	0

31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये ऐसे व्यय का अनुमान जिसके लिये लेखानुदान की आवश्यकता है

(हजार रुपयों में)

अनुदान क्रम-संख्या तथा उसका विवरण	कुल मांग				1 अप्रैल से 30 जून, 2002 हेतु आवश्यक धनराशि			
	राजस्व		पूंजी		राजस्व		पूंजी	
	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित
1	2							
18-सहकारिता	97608	0	88664	0	24402	0	22166	0
19-ग्राम्य विकास	1571852	0	76672	0	392963	0	19168	0
20-सिंचाई एवं बाढ़	1552092	0	339684	0	388023	0	84921	0
21-ऊर्जा	1591756	0	790004	0	397939	0	197501	0
22-लोक निर्माण कार्य	1538388	10408	2158628	0	384597	2602	539657	0
23-उद्योग	206224	0	42520	0	51556	0	10630	0
24-परिवहन	38208	0	101168	0	9552	0	25292	0
25-खाद्य	115928	0	1016	0	28982	0	254	0
26-पर्यटन	123132	0	45684	0	30783	0	11421	0
27-वन	1989632	1200	3512	0	497408	300	878	0
28-पशुपालन सम्बन्धी कार्य	424516	64	14212	0	106129	16	3553	0
योग :	36113488	6266308	5529212	6166892	9028372	1566577	1382303	1541723
राजस्व/पूंजी का कुल योग :	42379796		11696104		10594949		2924026	
महायोग (कुल मांग एवं आवश्यक मांग) :			54075900				13518975	